प्रकरण संख्या 20 / 19 RCMS ID-2019 / 00119 ता0रजू 20.05.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

फौरन्ती देवी पत्नि स्व.बाबूलाल मीना जाति मीना आयु 47 साल निवासी तुरसंगपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली — अपीलाण्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी करौली हाल कार्यालय जिला रसद अधिकारी करौली — रेस्पोण्डेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 विरूद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी करौली निर्णय दिनांक 08.05.2019 जिसके द्वारा अपीलार्थी का ग्राम पंचायत बापौती का उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है।

उपस्थिति–1 श्री नवलकिशोर शर्मा, एडवोकेट अपीलार्थी
2 श्री अमित कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक, प्रतिनिधि रेस्पोण्डेण्ट

निर्णय

दिनांक 07.10.2019

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 03.02.2019 को जिला रसद अधिकारी करौली व प्रवर्तन निरीक्षक मण्डरायल द्वारा अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान की जांच करने पर 220 लीटर केरोसीन दुकान में रखा हुआ पाया गया जबकि पोस मशीन में 00(शून्य) लीटर केरोसीन दर्ज था जिसको अपीलार्थी द्वारा उपभोक्ताओं को गेंहूं वितरण के साथ–साथ केरोसीन वितरण भी दर्शाया जाकर 220 लीटर केरोसीन का दुरुपयोग पाये जाने पर दिनांक 08.05.2019 को अपीलार्थी राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि निर्णय अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी दिनांक 08.05.2019 परवर्स आरवीट्रेरी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत पारित किया गया है जो अपास्त होने योग्य है। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 02.02.2019 की मौका निरीक्षण रिपोर्ट के आधार बनाकर निरस्त किया गया है जिस रिपोर्ट के अनुसार अपीलाण्ट की गैरमौजूदगी में अपीलाण्ट के स्टॉक में से 220 लीटर केरोसीन अधिक पाया जाना बताया गया और उक्त रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 08.02.2019 को अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र निलंबित कर अपीलाण्ट को नोटिस दिया गया जिस नोटिस की जबावदेही में अपीलाण्ट ने यह स्पष्ट वर्णित किया कि अपीलाण्ट के स्टॉक में कोई केरोसीन नही था और ड्रमों को चैक किये बिना ही उक्त रिपोर्ट में केरोसीन अधिक पाया जाना अंकित किया है लेकिन जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी के जवाब पर विचार किये बिना ही अपीलाण्ट के प्राधिकार पत्र को निरस्त किया है। इस कारण निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अपास्त होने योग्य है। जिला रसद अधिकारी द्वारा दौराने निरीक्षण व उसके बाद भी अपीलाण्ट के स्टॉक को जब्त कर सील नही

जिला कलक्टर
करौली

किया गया जिसका कारण यह था कि वास्तव में अपीलाण्ट के स्टॉक में कोई केरोसीन मौजूद नहीं था। यदि वास्तव में अपीलाण्ट के स्टॉक में 220 लीटर केरोसीन मौजूद होता तो जिला रसद अधिकारी द्वारा उक्त केरोसीन को उसी समय जब्त कर या तो मौके से उठवाया जाता अथवा स्टोर का ताला लगाकर सील किया जाता इस कारण निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में काल्पनिक आधार पर यह निष्कर्ष दिया है कि अपीलार्थी द्वारा पोश से गेंहू के साथ अंगूठा लगवाकर केरोसीन निकाल कर स्टॉक को शून्य कर दिया जिस निष्कर्ष को कोई विधिक आधार नही है और उक्त तथ्य पूर्णतः गलत है क्योंकि किसी भी उपभोक्ता ने केरोसीन नहीं मिलने की शिकायत नहीं की है। जिला रसद अधिकारी का उक्त निर्णय कयासी है और विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित नहीं है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

प्रतिनिधि प्रत्यर्थी ने बहस में कथन किया है कि दिनांक 03.02.2019 को अपीलार्थी की राशन दुकान की जांच की गई। वक्त जांच श्री मुरारीलाल मीणा, जो अपीलार्थी के पति के बड़े भाई हैं, वितरण करते हुए पाये गये जिन्होंने दुकान का निरीक्षण करवाया। वक्त जांच पोस मशीन में 37.60 क्विं. गेंहूं व 3 किलो चीनी दर्ज पायी गई जिसका भौतिक सत्यापन करने पर स्टॉक सही पाया गया लेकिन पोस मशीन में केरोसीन का स्टॉक 00(शून्य) लीटर दर्ज था जबकि मौके पर एक 220 लीटर केरोसीन पाया गया जिसकी वास्तविक स्थिति की जानकारी कार्यालय रिकॉर्ड एवं ऑनलाइन वितरण के आधार पर करने पर ही हो सकती थी। अतः 220 लीटर केरोसीन को सुरक्षित रखने एवं खुर्दबुर्द नहीं करने बाबत् श्री मुरारीलाल मीणा को पाबंद किया गया। कार्यालय रिकॉर्ड एवं ऑनलाइन वितरण के आधार पर ऑडिट करने पर गेंहूं व चीनी का स्टॉक सही पाया गया परंतु केरोसीन का स्टॉक भी कार्यालय रिकॉर्ड के आधार पर 00(शून्य) लीटर ही था जिसके विरुद्ध अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान पर 220 लीटर केरोसीन पाया गया जिसे जब्तराज किया जाकर अन्य डीलर को सुपुर्द किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी ने गेंहूं वितरण के साथ–साथ पोस मशीन से केरोसीन का वितरण ऑनलाइन दर्शाकर उपभोक्ताओं को नहीं देकर 220 लीटर केरोसीन का दुरुपयोग किया गया है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। जिला रसद अधिकारी करौली व प्रवर्तन निरीक्षक मण्डरायल द्वारा अपीलार्थी की राशन दुकान की दिनांक 03.02.2019 को जांच की गई। वक्त जांच अपीलार्थी की दुकान पर श्री मुरारीलाल मीणा, जो अपीलार्थी के पति के बडे भाई हैं, वितरण करते हुए पाये गये एवं उन्होंने ही दुकान का निरीक्षण कराया। वक्त जांच गेंहूं व चीनी का स्टॉक पोस मशीन में दर्ज स्टॉक के बराबर ही दुकान में पाया गया एवं ऑडिट में भी सही पाया गया लेकिन वक्त जांच कार्यालय रिकॉर्ड एवं ऑनलाइन वितरण के आधार पर ऑडिट करने पर अपीलार्थी के पास 00(शून्य) लीटर केरोसीन होना चाहिये था तथा पोस मशीन में भी 00(शून्य) लीटर केरोसीन ही दर्ज था जिसके विरुद्ध अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान में एक ड्रम में 220 लीटर केरोसीन पाया गया जिसे गेंहूं वितरण के साथ–साथ अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा ऑनलाइन वितरण दर्शाया जाकर उपभोक्ताओं को नहीं देकर दुरुपयोग किया गया है। ड्रम में 220 लीटर केरोसीन का भरा होना, सहायक मुरारीलाल मीणा द्वारा पूछताछ बयानों में स्वीकार किया है। इसलिये अपीलार्थी का यह तथ्य कि ड्रम में केरोसीन नहीं था, गलत है, स्वीकार नहीं है। अतः हम प्रतिनिधि प्रत्यर्थी के कथनों से सहमत हैं एवं अपील अपीलाण्ट को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

जिला कलक्टर
करौली

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी, करौली का निर्णय दिनांक 08.05.2019 यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी, करौली को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली